

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक: 26/12/2020

क्रमांक: एफ 01-66/2014/38-1 :- उच्च शिक्षा विभाग द्वारा चयन समिति द्वारा विभागीय भरती नियम में वर्णित शैक्षणिक योग्यता एवं सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 8-2/2013/आप्र/एक, दिनांक 22 फरवरी, 2014 में निहित शर्तों के अधीन की गई अनुशंसा अनुसार राज्य शासन द्वारा श्री आनन्द कुमार शुक्ला को सहायक ग्रेड-3 के रिक्त पद के विरुद्ध शासकीय महाविद्यालय गुन्नौर जिला पन्ना में निश्चित वेतन रूपये 5,200/- (रूपये पांच हजार दो सौ) मात्र में एक वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति पर किया गया था।

2/ श्री आनन्द कुमार शुक्ला को संविदा नियुक्ति 06 माह के अंदर कम्प्यूटर की योग्यता पूर्ण करने की शर्त पर दी गई थी। यह नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से मात्र 01 वर्ष के लिए दी गई थी। विभागीय आदेश दिनांक 28.12.2019 द्वारा नियुक्ति की अवधि 1 वर्ष अर्थात् 10 दिसंबर, 2020 तक की वृद्धि की गई थी।

3/ अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा श्री आनन्द कुमार शुक्ला की उपरोक्त सेवा में दिनांक 10 दिसंबर, 2020 से आगामी एक वर्ष की वृद्धि की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Shweta P. 12
(श्वेता पवार)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक: 26/12/2020

पृ क्रमांक: एफ 01-66/2014/38-1

प्रतिलिपि:-

- 1/ विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन,
- 2/ निज सहायक, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल
- 2/ आयुक्त, उच्च शिक्षा, संचालनालय सतपुडा भवन, भोपाल।
- 3/ महालेखाकार म०प्र०, ग्वालियर।
- 4/ क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, सागर संभाग, सागर, म०प्र०।
- 5/ जिला कोषालय अधिकारी, पन्ना, म०प्र०।

//2//

6/ प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, गुन्नौर जिला पन्ना।

7/ श्री आनन्द कुमार शुक्ला, म०न० 141, वार्ड क्रमांक 4 मु०पो० बडवारा तहसील देवेन्द्र नगर जिला पन्ना।

8/ आर्डर बुक।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

dlw.12
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग